कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची।

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

जिला बाल संरक्षण इकाई

–: नियुक्ति संबंधी सूचना :–

केन्द्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना अन्तर्गत जिले में किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2017 में वर्णित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्यवन हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित की जाती है जो निम्नवत् है :–

पदनाम	पदों की संख्या	आयु सीमा	मासिक पारिश्रमिक राशि	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव
संरक्षण पदाधिकारी –गैर– संस्थागत देखरेख	01	न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	27804 / –	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार और लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / कानून / सार्वजनिक स्वास्थ्य / सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर **अथवा** सामाजिक कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार और लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / कानून / सार्वजनिक स्वास्थ्य / सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातक के साथ–साथ महिला एवं बाल विकास / समाज कल्याण के क्षेत्र में परियोजना तैयार करने / लागू करने, निगरानी एवं पर्यवेक्षण के कार्य में 02 वर्ष का कार्यानुभव।	कार्य अनुभव को प्राथमिकता एवं कम्प्यूटर में दक्षता
आंकडा विश्लेषक	01	न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष	18536 / –	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर (BCA) / सांख्यिकी / गणित / अर्थशास्त्र / में स्नातक उत्तीर्ण	कार्य अनुभव को प्राथमिकता एवं कम्प्यूटर में दक्षता

(क) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या–05/म०बा०/ICPS–नियु० नियमा०–575/2015–1835, दिनांक 20/07/2016 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–05/म०स०/यो०स्वी०/ M.Vatsalya–432/2022–860, राँची/दिनांक–31.03.2023 के आलोक में जिला स्तरीय संविदा आधारित सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें निम्नलिखित है :–

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 14/स्थानीयता नीति–14 01/2015 का० 229/राँची, दिनांक 19/01/2022 के आलोक में प्रकाशित नियुक्ति विज्ञापन में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।
2. उम्र सीमा की गणना 01.08.2025 के अनुसार की जायेगी।
3. संविदा आधारित उपर्युक्त पदों के नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होगें।
4. विभिन्न पदों की परिलब्धियाँ विज्ञापन में वर्णित मासिक परिलब्धि के अनुसार अथवा भारत सरकार के निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पर पुनरीक्षित संविदा भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा संकल्प/परिपत्र जारी किया जा सकेगा, जो इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।
5. निर्धारित परिलब्धि एक मुश्त संविदा राशि है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा : परन्तु कर्त्तव्य से जुड़े परिभ्रमण आदि के लिए नियमानुसार देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा।
6. उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार/विभाग पर कोई दायित्व नहीं होगा।
7. प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही उनको कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
8. संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपरोक्त क्रम संख्या–07 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. जिला स्तरीय पदों पर चयन उस जिले के लिए किया जायेगा, जहाँ आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है, अर्थात यह जिला स्तरीय पद होंगे।

10. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
11. नियमावली के अस्पष्टता या इसके प्रावधानों के अनुपालन में किसी कठिनाई या किसी प्रकार की लिपिकीय भूल की स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना/परिपत्र जारी कर इसका परिमार्जन करने के लिए सक्षम होगी। ऐसे जारी किये गये अधिसूचना/परिपत्र में निहित निदेश नियमावली के भाग समझे जायेंगे।
12. नियुक्त कर्मी के लिए नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई सेवा शर्त्त विभाग द्वारा आवश्यक समझी जायेगी तो इस संबंध में विभाग समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश परिपत्र/अधिसूचना जारी कर सकेगी, जो नियमावली के अंग समझे जायेंगे।
13. पदों की संख्या उनके प्रकार, उनकी परिलब्धियों आदि में किसी परिवर्त्तन की स्थिति में विभाग आवश्यकतानुसार अधिसूचना/परिपत्र निर्गत कर नये या संशोधित दिशा–निर्देश जारी कर सकेगी। ऐसी जारी किये गये अधिसूचना/परिपत्र में निहित निर्देश नियमावली के भाग समझे जायेंगे।
14. संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद स्थानांतरणीय नहीं होगा। संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।
15. नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई प्रावधान राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो राज्य सरकार इसके लिए राज्यादेश जारी कर सकेगी जो नियमावली का अंग समझा जायेगा।

(ख) चयन प्रक्रिया :–

1. पदवार नियुक्ति पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी नियम–16 के अनुरूप होंगे। आवश्यकतानुसार नियंत्री पदाधिकारी का संसूचन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अलग से संकल्प/परिपत्र के माध्यम से कर सकेंगे।
2. प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणित योग्यता स्कोर निकाला जायेगा तथा उस आलोक में अभ्यर्थियों की "प्रारंभिक मेधा सूची" तैयार की जायेगी।
3. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों की दुगनी संख्या में "प्रारंभिक मेधा सूची" तैयार की जायेगी एवं उनके सभी प्रमाण–पत्रों की जाँचोपरांत सही पाये गये उम्मीदवार को रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

4. एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदो के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा। परन्तु जिला स्तरीय पदों पर अधिकतम दो जिलों में ही आवेदन दे सकेंगे।
5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–4063, दिनांक–18.05.2016 के आलोक में उपर्युक्त समूह–ख, अराजपत्रित, समूह –ग, एवं समूह–घ तथा समकक्ष पदों पर होने वाली संविदा आधारित नियुक्तियों में साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जायेगा।
6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198, दिनांक–18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविदा आधारित उक्त समूह के पदों पर नियुक्तियों के क्रम में उक्त संकल्प के प्रावधान लागू होगा।
7. उपर्युक्त पदों में नियुक्ति पदाधिकारी उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी है। नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी के कार्यों की वार्षिक समीक्षा संबंधित उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी करेंगे।
8. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल योग्यता स्कोर अर्थात अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर नामों के प्रारंभिक अक्षर के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगा।

(ग) कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व :–

1. सभी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के कार्य/कर्त्तव्य/उत्तरदायित्व मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस पर जारी दिशा–निर्देश/मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश को लागू करने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को चिन्हित कर निर्धारित किया जा सकेगा।
2. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय–समय पर ऐसे सौंपे गये कार्यों/कर्त्तव्यों/उत्तरदायित्वों का पुनर्निधारण किया जा सकेगा।
3. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को एक कैलेंडर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

(घ) आवेदन की प्रक्रिया :–

1. आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक–22/08/2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक निर्धारित मापदण्डो को पूरी नहीं करने वाले आवेदकों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. आवेदन के लिए प्रयुक्त लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

9. रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. यदि आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग–अलग पदों से संबंधित आवेदन करना अनिवार्य होगा।

आवेदन करने का पता :– कार्यालय, जिला बाल संरक्षण इकाई, समाहरणालय भवन, ब्लाक–"बी" कमरा संख्या–111, पिन कोड–834001 राँची (झारखण्ड)।

ह०/–
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक :– नियु०–DCPU/2026–27/1058/बा०सं०, राँची/दिनांक – 30/07/2026

प्रतिलिपि :– जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना को राँची जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

30/07/2026

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

APPLICATION FORM

1 Name of the Applicant : --

2 Father's/mother's/Husband's Name : --

3 Date of Birth (DD/MM/YY) : --

4 Sex (Please tick) : Male ☐ Female ☐

5 Mobile No: --

6 Email ID: --

Self Attested

Passport Size

Photograph

7 Nationality ---------------------------------- Marital Status : Married ☐ Unmarried ☐

8 Category (Please tick) : ST ☐ SC ☐ OBC ☐ GENERAL ☐ EWS ☐

9 Address for communication with pin code : --

City /Town : ---------------------------------- District : ----------------------------------

State : ---------------------------------- Pin code : ----------------------------------

10 Permanent Address for with pin code : --

City /Town : ---------------------------------- District : ----------------------------------

State : ---------------------------------- Pin code : ----------------------------------

11 Educational Qualification

Examination Passed	**Name of Board/University**	**Year of passing**	**Percentage of Marks**	**Grade/Division**

12 Professional any other Qualification :

Examination Passed	**Name of Board/University**	**Year of passing**	**Percentage of Marks**	**Grade/Division**

13 Works Experience:

Sl. No	Name of the Organization	From	To	No. of Years	Nature of work

14 Whether presently serving in any Government/Undertaking /Organization --------------------
----
----

15 Enclosure: Photo copy of Document/Certificate related to Educational Qualification, Professional/Other Qualification, Age, work Experience, Caste certificate, Residential Certificate, any Photo Identity Card (Aadhar, Driving License, PAN etc .)

Declaration

I Certify that above mentioned information are true and if found to be false, District Child protection Unit, Ranchi may cancel my candidature at any stage of selection process at Its sole discretion .

Date :

Place :

(Signature of the candidate)

@mv